110

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय म॰प्र॰ ग्वालियर

कैम्प रीवा, जिला रीवा म॰प्र॰

1॰ सखी गोपाल मिश्रा, उम्र 75 साल,

2॰ बेलमणि मिश्रा उम्र 62 साल, दोनो के पिता बद्री प्रसाद

निवासी ग्राम भरिया तहसील सिरमौर, जिला रीवा म॰प्र॰

---- निगरानी कर्ता गण

बनाम

रामकली पुत्री पारसनाथ ब्राम निवासी ग्राम भरिया तहसील सिरमौर

जिला रीवा म॰प्र॰ ---- अनावेदक

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार तहसील सिरमौर वृत्त लालगांव जिलारीवा म॰प्र॰ के राजस्व प्रकरण क्र॰ 7अ-12/11-12 आदेश दिनांक 6॰8॰12 ,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰ रा॰सं॰ 1959 ई॰।

माननीय,

पुनरीक्षण के आधार निम्न है :-

1॰ यह कि अधी॰ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2॰ यह कि अनावेदिका द्वारा ग्राम भरिया, स्थित आराजियो के सीमाकंन हेतु आवेदन तहसीलदार तहसील सिरमौर वृत्त लालगांव के न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिसमे अन्य भूमियो के साथ साथ आवेदक/ आपत्ति कर्ता के कब्जे की आराजी क्र॰ 158, 159॰ एवं 160 जो व्यवहार वाद क्र॰ 305/83 आदेश दिनांक 20॰9॰83 को डिक्री पारित जिस पर विधिवत नामान्तरण की कार्यवाही प्रकरण क्र॰ 1036/83-84 आदेश दिनांक 21॰2॰84 द्वारा आवेदक गण आपत्ति कर्ता के हक मे राजस्व अभिलेखो मे नाम दर्ज हो चुका जिसकी अपील अनावेदिका द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 3335–दो/2012 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/03/18	यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 7 अ–12/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनाक 6–8–2012 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने ग्राम भमरिया की आराजी कमांक 24/1, 26/1, 27/1, 28/1, 63/1, 64/1, 157/1, 158/2, 159/1, 159/2, 163/2 के सीमांकन हेतु तहसीलदार सिरमौर को आवेदन दिया, जिस पर प्रकरण कमांक कमांक 7 अ–12/2011–12 पॅजीबद्व किया गया । अनावेदकगण ने उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तथा सीमांकन न किये जाने की आपत्ति लगाई। तहसीलदार दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 6–8–12 पारित किया तथा आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निरस्त करते हुये सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त लालगॉव को परवाना जारी करने के निर्देश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कु. पाण्डेय एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री कृष्ण कु. मिश्रा के तर्क सुने । दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित किये जाने वाली भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से भविष्य	

प्रभावित होना मानते हैं अथवा भूमि पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति का आभाष करते हैं, तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 6–8–2012 से अनावेदक की भूमि का सीमांकन कराने हेतु विस्तृत विवेचना कर लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन होना देना नहीं चाहते हैं जिसके कारण निगरानी करके राजस्व न्यायालयों का समय व्यर्थ करने एंव आवेदक के स्वामित्व की भूमि का वर्ष 2010 से सीमांकन न होने पावे, व्यवधान डालने में सफल रहे हैं। प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तहसीलदार सिरमौर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन नियमों का पालन कराते हुये अनावेदक की भूमि का सीमांकन करायें एंव 60 दिवस के भीतर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें। तद्नुसार निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य